Saryu Roy
CHAIRPERSON
Committee on Public Undertakings
Jharkhand Legislative Assembly

झारखण्ड विधान-सभा
JHARKHAND LEGISLATIVE ASSEMBLY

Residence :
• F-Type, Quarter No. 1, PWD(IB), A. G. More, Doranda, Ranchi - 834002
• L 4/1, Kadani Road, Baridih, Jamshedpur - 831017
Tel. : 0651-2480045, 0657-2249255,
Mob. : 9431114466
E-mail : saryuroyoffice@gmail.com
Website : www.saryuroy.in

Ref. आ.का.(मु.मं.)/02/32/24 Date 06-02-24

सेवा में,
माननीय मुख्यमंत्री
झारखण्ड सरकार।

विषय : स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार के संख्या–101(3), दिनांक 05.02.2024 द्वारा की गई अवैध प्रतिनियुक्तियों को रद्द करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधिसूचना की प्रति संलग्न है, जो स्वतः स्पष्ट है। गत 31 जनवरी, 2024 की शाम को तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दिये जाने तथा उसी रात माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिये जाने के बाद तत्कालीन सरकार स्वतः भंग हो गई। तदुपरांत दिनांक 02 फरवरी, 2024 को झारखण्ड के मुख्यमंत्री के रूप में भवदीय का शपथ ग्रहण हुआ और संसदीय कार्य विभाग छोड़कर सभी विभागों के मंत्री आप स्वयं हो गये। गत 31 जनवरी की शाम और आपके शपथ लेने के बीच की अवधि में झारखण्ड में कोई सरकार नहीं थी। परंतु इस बीच में स्वास्थ्य विभाग में उपर्युक्त विषयक अधिसूचना तैयार हो गई और जिस दिन आपके सरकार ने विधान सभा में विश्वास मत प्राप्त किया उसी दिन, यानी 05 फरवरी, 2024 को, यह अधिसूचना निर्गत हो गई। इस बारे में संबंधित संचिका पर अवश्य ही किसी सक्षम प्राधिकार का इस आशय का आदेश हुआ होगा।

जब भी कोई सरकार बदलती है तो सरकार के अपदस्थ होने के समय जो भी निर्णय संचिका में लिये जाते हैं, उनकी अधिसूचना तत्काल प्रभाव से रोक दी जाती है। परंतु इस मामले में स्वास्थ्य विभाग ने सरकार के अपदस्थ होने के बाद उपर्युक्त विषयक अधिसूचना को निर्गत कर दिया है, जो पूर्णतः अवैधानिक है। आश्चर्य है कि उपर्युक्त विषयक अधिसूचना में स्वास्थ्य विभाग ने 24 चिकित्सकों की एकमुश्त प्रतिनियुक्ति की है। कार्यपालिका नियमावली के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुरूप ऐसी प्रतिनियुक्तियाँ माननीय मुख्यमंत्री से आदेश लिये बिना नहीं की जा सकती हैं। इस संबंध में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने अथवा सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में आपने ऐसी किसी संचिका पर आदेश दिया है अथवा नहीं इस विषय में स्वास्थ्य विभाग से आपके स्तर पर जानकारी प्राप्त की जानी चाहिए।

आपको स्मरण होगा कि आज 06 फरवरी को विधानसभा में माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हो रहे चर्चा के दौरान मैंने यह विषय सदन में उठाया था और आसन के माध्यम से आपसे अनुरोध किया था कि सरकार का उत्तर देते समय इस बारे में वस्तुस्थिति की जानकारी सदन को दे दी जाय। परन्तु धन्यवाद प्रस्ताव पर परिचर्चा का उत्तर देते समय माननीय संसदीय कार्य मंत्री इस विषय पर मौन रहे, इसलिए इस विषय की ओर मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ।

महोदय, मुझे लगता है कि आपको प्रासंगिक संचिका स्वास्थ्य विभाग से मंगाकर उसका अवलोकन करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि इस मामले में प्रासंगिक नियमों का पालन हुआ है अथवा नहीं। हो सकता है कि स्वास्थ्य विभाग के संबंधित अधिकारियों ने अधिसूचना निर्गत करने के पूर्व तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री से पीछे की तिथि में इस पर हस्ताक्षर करा लिया हो। यदि ऐसा है तो यह मंत्री एवं संबंधित अधिकारियों का भ्रष्ट आचरण माना जायेगा। यदि तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री द्वारा संचिका में पिछली तिथियों से आदेश करने के बाद यह आदेश बाद में निर्गत हुआ है तो भी यह अनुचित है, क्योंकि ऐसी अधिसूचना माननीय मुख्यमंत्री के आदेश के बगैर निर्गत नहीं की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि दिनांक 05.02.2024 को निर्गत अधिसूचना की प्रतिलिपि भेजते समय भी इसमें मुख्यमंत्री (मंत्री) के आप्त सचिव का उल्लेख नहीं है, केवल विभागीय मंत्री के आप्त सचिव का उल्लेख है। इसका अर्थ है कि आनन–फानन में यह अधिसूचना जारी की गई है और अधिसूचना जारी करते समय प्रासंगिक नियम एवं वैधानिक परम्परा की अवहेलना की गई है।

अनुरोध है कि उपर्युक्त विवरण के आलोक में विधिसम्मत कार्रवाई करने, उपर्युक्त विषयक अधिसूचना को रद्द करने तथा इस तरह का षडयंत्र करनेवाले तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री सहित अन्य संबंधित अधिकारियों पर विधिसम्मत कार्रवाई करने की कृपा करेंगे।

सादर,

भवदीय

सरयू

(सरयू राय)

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

राँची / दिनांकः 05.02.2024

संख्या– 3 / स्था0डी0–01–63 / 2023– 78 (3) / **डॉ0 राजश्री रानी सिंह,** चिकित्सा पदाधिकारी सदर अस्पताल, धनबाद को चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, बोकारो में प्रतिनियुक्त किया जाता है।

संख्या– 3 / स्था0डी0–01–63 / 2023– 79 (3) / **डॉ0 पंकज कुमार,** चिकित्सा पदाधिकारी एम0जी0एम0 मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जमशेदपुर को राज्य अन्धापन नियंत्रण पदाधिकारी, राँची के पद पर प्रतिनियुक्त किया जाता है।

संख्या– 3 / स्था0डी0–01–63 / 2023– 80 (3) / **डॉ0 स्नेहलता त्रिपाठी,** दन्त चिकित्सक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मेराल, गढ़वा को दन्त चिकित्सक, सदर अस्पताल, पलामू में प्रतिनियुक्त किया जाता है।

संख्या– 3 / स्था0डी0–01–63 / 2023– 81 (3) / **डॉ0 जयवन्त लकरा,** चिकित्सा पदाधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बरवाडीह, लातेहार को चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, गढ़वा में प्रतिनियुक्त किया जाता है।

संख्या– 3 / स्था0डी0–01–63 / 2023– 82 (3) / **डॉ0 आदित्य शेखर,** चिकित्सा पदाधिकरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कान्हा चट्टी, चतरा को चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, देवघर में प्रतिनियुक्त किया जाता है।

संख्या– 3 / स्था0डी0–01–63 / 2023– 83 (3) / **डॉ0 पल्लवी कुमारी,** दन्त चिकित्सक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, ठेठईटांगर, सिमडेगा को दन्त चिकित्सक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिल्ली, रांची में प्रतिनियुक्त किया जाता है।

संख्या– 3 / स्था0डी0–01–63 / 2023– 84 (3) / **डॉ0 पूजा सिन्हा,** चिकित्सा पदाधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पालकोट, गुमला को चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, हरिहरगंज, पलामू में प्रतिनियुक्त किया जाता है।

संख्या– 3 / स्था0डी0–01–63 / 2023– 85 (3) / **डॉ0 सरिता प्रसाद,** चिकित्सा पदाधिकारी सदर अस्पताल, बोकारो को चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कतरास, धनबाद में प्रतिनियुक्त किया जाता है।

संख्या– 3 / स्था0डी0–01–63 / 2023– 86 (3) / **डॉ0 मधुरिमा प्रसाद,** चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुजू, रामगढ़ को चिकित्सा पदाधिकारी, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी कार्यालय, रामगढ़ में प्रतिनियुक्त किया जाता है।

संख्या– 3 / स्था0डी0–01–63 / 2023– 87 (3) / **डॉ0 रवि रंजन,** चिकित्सा पदाधिकारी सदर अस्पताल, दुमका को चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, देवघर में प्रतिनियुक्त किया जाता है।

संख्या– 3 / स्था0डी0–01–63 / 2023– 88 (3) / **डॉ0 शदफ इशरत,** चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बुण्डू, हजारीबाग को चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, ओरमांझी, राँची में प्रतिनियुक्त किया जाता है।

संख्या– 3/स्था0डी0–01–63/2023– 89 (3) /डॉ0 **पंकज कुमार**, चिकित्सा पदाधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सदर, चतरा को चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, जामताड़ा में प्रतिनियुक्त किया जाता है।

संख्या– 3/स्था0डी0–01–63/2023– 90 (3) /डॉ0 **ठाकुर मृत्युंजय कुमार सिंह**, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चास, बोकारो को जिला आर0सी0एच0 पदाधिकारी, रामगढ़ के पद पर प्रतिनियुक्त किया जाता है।

संख्या– 3/स्था0डी0–01–63/2023– 91 (3) /डॉ0 **प्रितिश प्रोणोय**, नेत्र रोग विशेषज्ञ, सदर अस्पताल, रामगढ़ को नेत्र रोग विशेषज्ञ, सदर अस्पताल, राँची में प्रतिनियुक्त किया जाता है।

संख्या– 3/स्था0डी0–01–63/2023– 92 (3) /डॉ0 **मो0 शाहिद**, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, गिरिडीह को अनुमण्डलीय अस्पताल, मधुपुर, देवघर में प्रतिनियुक्त किया जाता है।

संख्या– 3/स्था0डी0–01–63/2023– 93 (3)/डॉ0 **भारती गोरोती मिंज**, क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका को अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकरी (FP), चाईबासा के पद पर प्रतिनियुक्त किया जाता है।

संख्या– 3/स्था0डी0–01–63/2023– 94 (3)/डॉ0 **नीलम बाला**, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, निमियाघाट, गिरिडीह को सदर अस्पताल, धनबाद में प्रतिनियुक्त किया जाता है।

संख्या– 3/स्था0डी0–01–63/2023– 95 (3)/डॉ0 **दिनेश कुमार**, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमण्डलीय अस्पताल, हुसैनाबाद, पलामू को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भवनाथपुर, गढ़वा में प्रतिनियुक्त किया जाता है।

संख्या– 3/स्था0डी0–01–63/2023– 96 (3) /डॉ0 **अनामिका दीप**, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जोरी, हंटरगंज, चतरा को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बादम, बड़कागाँव, हजारीबाग में प्रतिनियुक्त किया जाता है।

संख्या– 3/स्था0डी0–01–63/2023– 97 (3) /डॉ0 **बिरेन्द्र प्रसाद गुप्ता**, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कसमार, बोकारो को राजकीय औषधालय, बाकारो में प्रतिनियुक्त किया जाता है।

संख्या– 3/स्था0डी0–01–63/2023– 98 (3) /डॉ0 **सुषमा शबनम होरो**, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, गढ़वा को सदर अस्पताल, पलामू में प्रतिनियुक्त किया जाता है।

संख्या– 3/स्था0डी0–01–63/2023– 99 (3) /डॉ0 **मो0 जावेद**, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पालाजोरी, देवघर को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सदर प्रखण्ड, दुमका में प्रतिनियुक्त किया जाता है।

संख्या– 3/स्था0डी0–01–63/2023– 100 (3) /डॉ0 **शरद कुमार**, दन्त चिकित्सक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कैरो, देवघर को सदर अस्पताल, कोडरमा में प्रतिनियुक्त किया जाता है।

संख्या– 3/स्था0डी0–01–63/2023– 101 (3)/डॉ0 **प्रीति रानी**, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, सिमडेगा को सदर अस्पताल, पलामू में प्रतिनियुक्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(प्रभुनाथ शर्मा)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः 3/स्था0डी0–01–63/2023– 101(3) राँची/दिनांक : 05.02.2024

प्रतिलिपि : माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/संबंधित उपायुक्त/अभियान निदेशक, एन0एच0एम0, झारखण्ड, रांची/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं, झारखण्ड, रांची/संबंधित क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/संबंधित असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/संबधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी/विशेषज्ञ चिकित्सक/दन्त चिकित्सक/प्रशाखा– 5, 6, 7, 14 एवं 18 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/02/24

सरकार के अवर सचिव